

अति आवश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 29.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान


विषय:- नवनियुक्त चिकित्सकों को कार्यग्रहण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाने के उपरान्त विभाग ने दिनांक 21.12.2011, 24.12.2011 एवं 27.12.2011 को नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन कर आपके कार्यालय में कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।


उक्त नवनियुक्त चिकित्सकों के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त तीनों सूचियों में ऐसे नवनियुक्त चिकित्सक जिनकी इन्टर्नशिप दिनांक 31.12.2011 तक पूरी हो रही है, उन चिकित्सकों की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 04.01.2012 तक बढ़ाई जाती है।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 3- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 4- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 5- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 6- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
- 7- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव